

विवरण

पिता - सुकरा खडिया अभिलेख उपस्थापित। अवैध/संदिग्ध भूमि के जमाबन्दीदार जोहन खडिया को खास नोटिस निर्गत किया गया था जो अभिलेख में संलग्न है। अवैध/संदिग्ध भूमि के जमाबन्दीदार के कोर्ट भी व्यक्ति प्रस्तुत नहीं हुआ द्वारा सुनवाई के दौरान विषयगत अवैध/संदिग्ध भूमि ग्राम कादीपानी खाता नं० 236 खेसरा नं० 4856, 4856 रकबा 2.71 है कि उनके पास लग्न रसीद के अतिरिक्त अन्य कोर्ट भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं है। राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक से चेक लिस्ट में जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जो अभिलेख में संलग्न है, अवलोकन किया गया।

राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि पंजी ii में उक्त भूमि के संदिग्ध/अवैध जमाबन्दीदार के नाम से जमाबन्दी कायम होने का आधार है कि विषयगत भूमि ग्राम कादीपानी खाता नं० 236 प्लॉट नं० 4856, 4856 सर्वे खतियान में किस्म जाला पत्ती स्टीवर्ज है जो सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 6144/रा० दिनांक 21.12.2017 के कंडिका-5 के उप कंडिका II (ii) के अनुसार प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी है नियमितिकरण योग्य नहीं है। रा०उ०नि० एवं अ०नि० ने जमाबन्दी रद्द करने हेतु अनुशंसा किया है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि जोहन खडिया पिता - सुकरा खडिया के नाम से चल रही निम्नांकित जमाबन्दी संदिग्ध/अवैध जान पड़ता है :-

मौजा	थाना संख्या	खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा
1	2	3	4	5
कादीपानी	71	236	4668 ✓ 4678 ✓ 4856 ✓ 4857 ✓	2.71 र०

अतः मुख्य सचिव, झारखण्ड राँची का पत्रांक 2074/रा०, दिनांक 13.05.2016 राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 6144/रा० दिनांक 21.12.2017 के कंडिका-5 के उप कंडिका II (ii) एवं राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 1704/ रा० दिनांक 15.07.2020 के आलोक में बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत उक्त जमाबन्दी का नियमितीकरण अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित  
अंचल अधिकारी,  
बोसबा

अंचल अधिकारी,  
बोसबा